CGHC010072652021 2026:CGHC:31351

प्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित दिनांक–17/07/2026

निर्णय उद्घोषित दिनांक–22/07/2026

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक–149/2021

1. श्रीमती गंगाबाई साहू, पति–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 39 वर्ष,
2. रविकुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 22 वर्ष,
3. विनोद कुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 20 वर्ष,
4. मनोज कुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 18 वर्ष,
5. श्रीमती गंगाबाई साहू, पति–स्वर्गीय धर्मलाल साहू, आयु लगभग 63 वर्ष,

सभी निवासी–क्वार्टर क्रमांक ए–13/128, पुरानी कॉलोनी, ढेलवाडीह, पुलिस थाना–बांकीमोंगरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़)।

-----दावाकर्तागण

विरूद्ध

1. प्रमोद कुमार शुक्ला, पिता–रमेश कुमार शुक्ला, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी–क्वार्टर क्रमांक एच.पी.टी.–18, सिंचाई कॉलोनी, आई.टी.आई. चौकी–रामपुर, पुलिस थाना–कोतवाली, तहसील एवं जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़)।
   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **वाहन चालक**)
2. मोहम्मद सज्जाद अली, पिता–सराफत, निवासी–एल.आई.जी.–156, आर.पी. नगर, कोरबा, तहसील एवं जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़)।
   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **पंजीकृत स्वामी**)
3. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, टी.पी. नगर, कोरबा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़)।
   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **बीमा कंपनी**)

-----प्रत्यर्थीगण

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.07.22 16:59:22 +0530

अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा	:	सुश्री सोनिया कुलदीप, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–1 एवं 2 द्वारा	:	श्री टी.आर. पटेल एवं श्री विकास कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–3 द्वारा	:	श्री भोलानाथ नन्दे, अधिवक्ता ।

एवं

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक–207/2021

1. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, टी.पी. नगर, कोरबा (छत्तीसगढ़), अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उप प्रबंधक, टी.पी. हब, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टी.पी. हब कार्यालय, प्रथम तल, रामा ट्रेड सेंटर, पुराना बस स्टैण्ड के पास, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **बीमा कंपनी**)

-----अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती गंगाबाई साहू, पति–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 39 वर्ष,
2. रविकुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 22 वर्ष,
3. विनोद कुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 20 वर्ष,
4. मनोज कुमार साहू, पिता–स्वर्गीय भरत साहू, आयु लगभग 18 वर्ष,
5. श्रीमती गंगाबाई साहू, पति–स्वर्गीय धर्मलाल साहू, आयु लगभग 63 वर्ष,
   सभी निवासी–क्वार्टर क्रमांक ए–13/128, पुरानी कॉलोनी, ढेलवाडीह, पुलिस थाना–बांकीमोंगरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) । **(-----दावाकर्तागण)**
6. प्रमोद कुमार शुक्ला, पिता–रमेश कुमार शुक्ला, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी–क्वार्टर क्रमांक एच.पी.टी.–18, सिंचाई कॉलोनी, आई.टी.आई. चौकी, रामपुर, थाना, तहसील एवं जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) ।

   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **वाहन चालक**)

7. मोहम्मद सज्जाद अली, पिता–सराफत, निवासी–एल.आई.जी.–156, आर.पी. नगर, कोरबा, तहसील एवं जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) ।

   (दोषी वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक–सी.जी.–12–ए.जे.–7018 का **पंजीकृत स्वामी**)

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी द्वारा	: श्री भोलानाथ नन्दे, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–1 से 5 द्वारा	: सुश्री सोनिया कुलदीप, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–6 एवं 7 द्वारा	: श्री टी.आर. पटेल एवं श्री विकास कुमार पाण्डेय, अधिवक्तागण ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! सी.ए.वी. निर्णय !!

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों अपील में द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कटघोरा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक–38/2019 "श्रीमती गंगाबाई साहू एवं अन्य विरुद्ध प्रमोद कुमार शुक्ला एवं अन्य" में दिनांक 08.12.2020 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है । जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" से संबोधित किया जा रहा है । दोनों अपीलें एक ही अधिनिर्णय से उद्भूत होने के कारण उनका निराकरण संयुक्त रूप से किया जा रहा है ।

2. यह निर्विवादित है कि स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सी.जी.–12–ए.जे.–7018 (जिसे आगे "दोषी वाहन" से संबोधित किया जा रहा है) का चालक प्रमोद कुमार शुक्ला, पंजीकृत स्वामी मोहम्मद सज्जाद अली तथा बीमाकर्ता द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ।

3. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.08.2018 को भरत साहू (मृतक) अपने रिश्तेदार प्रहलाद साहू (आवेदक साक्षी क्रमांक–2) के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर मानिकपुर, कोरबा से अपने निवास ढेलवाडीह कॉलोनी जा रहा था । जब वे सी.एस.ई.बी. प्लांट गेट के समीप मुख्य मार्ग पर पहुँचे, उसी समय प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा "दोषी वाहन" को तीव्र एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया जिसकी

टक्कर से भरत साहू को गंभीर चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । घटना की सूचना पर थाना दर्री में अपराध क्रमांक–173/2018 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरांत "दोषी वाहन" के चालक के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. मृतक की पत्नी, तीन पुत्र एवं माता ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रतिकर हेतु दावा आवेदन प्रस्तुत किया । अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण उपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि दुर्घटना "दोषी वाहन" के चालक द्वारा वाहन को तीव्र एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण कारित हुई, जिसमें भरत साहू की मृत्यु हुई । अधिकरण ने यह भी पाया कि बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन प्रमाणित नहीं हुआ है, फलतः प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी का है । अधिकरण ने प्रदर्श पी–13 (वेतन पर्ची) के आधार पर मृतक को एस.ई.सी.एल., ढेलवाडीह कॉलरी एरिया, कोरबा में फैन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मानते हुए उसकी मासिक आय ₹76,745.22/– निर्धारित की । प्रदर्श पी–16, पी–17 एवं पी–18 के अनुसार उसकी जन्मतिथि 26.09.1977 पाई गई । दुर्घटना की तिथि पर उसकी आयु 40 वर्ष 10 माह 13 दिन होने के आधार पर उसे 41 वर्ष मानते हुए 30% भावी संभावनाओं का लाभ प्रदान किया गया । पाँच आश्रितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के लिए 1/4 की कटौती तथा 14 का गुणक लागू कर अन्य परंपरागत मदों के अंतर्गत ₹70,000/– जोड़ते हुए कुल ₹1,19,83,455/– का प्रतिकर, दावा आवेदन की तिथि से अदायगी तक 7% प्रतिवर्ष ब्याज सहित प्रदान किया गया ।

तर्क

5. "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" से क्षुब्ध होकर बीमा कंपनी ने अपील प्रस्तुत कर मुख्यतः "दोषी वाहन" की दुर्घटना में संलिप्तता, मृतक की आय के निर्धारण तथा दावाकर्तागण की आश्रितता संबंधी निष्कर्षों को चुनौती दी है । उनका तर्क है कि दावाकर्तागण के पक्ष में ज्यादा प्रतिकर निर्धारित किया गया है । दूसरी ओर, दावाकर्तागण ने पृथक अपील प्रस्तुत कर प्रतिकर राशि में वृद्धि की मांग करते हुए अभिकथित किया है कि अधिकरण द्वारा मृतक की आयु के अनुरूप गुणक का सही निर्धारण न किए जाने से उन्हें उचित प्रतिकर प्राप्त नहीं हुआ है ।

6. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

दोषी वाहन की संलिप्तता

7. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि देहाती मर्ग सूचना में "दोषी वाहन" का पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं है । इसके अतिरिक्त, उक्त वाहन की जप्ती दुर्घटना के लगभग ढाई माह पश्चात् की गई । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रहलाद साहू ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा जप्ती के उपरांत थाना परिसर में उसे वाहन दिखाकर बताया गया था कि उसी वाहन से दुर्घटना हुई थी । ऐसी परिस्थितियों में "दोषी वाहन" की दुर्घटना में संलिप्तता संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती । विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रथम** न्यायदृष्टांत **Usha Devi and others v. New India Insurance Company Limited and others**, 2019 SCC OnLine SC 2425, **द्वितीय** न्यायदृष्टांत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के **United India Insurance Company Limited v. Smt. Babli Yadav and others** (Misc. Appeal No. 6059 of 2023 निर्णय दिनांक 28.03.2025) **तथा तृतीय** न्यायदृष्टांत

Anil and others v. New India Assurance Company Limited and others, (2018) 2 SCC 482 का हवाला दिया है ।

8. इसके विपरीत, दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रहलाद साहू ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है कि दुर्घटना "दोषी वाहन" से ही कारित हुई थी । उसके कथन की पुष्टि पुलिस विवेचना के अंतिम प्रतिवेदन तथा उसके अन्य दस्तावेजों से भी होती है । उनका आगे तर्क है कि बीमा कंपनी की ओर से "दोषी वाहन" की दुर्घटना में संलिप्तता का खण्डन करने हेतु न तो वाहन चालक का परीक्षण कराया गया और न ही पंजीकृत स्वामी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । अतः अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

9. दावाकर्ता पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी श्रीमती गंगाबाई (आवेदक साक्षी क्रमांक–1) का परीक्षण कराया गया है । यद्यपि वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, तथापि उसके द्वारा दुर्घटना से संबंधित पुलिस विवेचना के चालानी दस्तावेज, प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–11 तक, अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, दावाकर्ता पक्ष ने प्रहलाद साहू (आवेदक साक्षी क्रमांक–2) का परीक्षण कराया है, जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसके द्वारा दी गई सूचना पर देहाती मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–3) दर्ज की गई, जिसमें सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन से दुर्घटना कारित होना उल्लेखित है । विवेचना पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा "दोषी वाहन" के चालक के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–1) प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रहलाद साहू को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । न्यायालय के समक्ष भी प्रहलाद साहू ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से अभिकथित

किया है कि दुर्घटना "दोषी वाहन" से ही कारित हुई थी । उसके उक्त कथन का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं किया जा सका ।

10. पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात प्रस्तुत अभियोग–पत्र के साक्ष्यिक मूल्य के बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ICICI Lombard General Insurance Company Limited v. Rajani Sahu and Others, (2025) 2 SCC 599** के निर्णय की कण्डिका–8 से 10 में निम्नानुसार विधि प्रतिपादित की गई हैः–

> "8 As regards the reliability of charge-sheet and other documents collected by the police during the investigation in motor accident cases, this Court in Mangla Ram v. Oriental Insurance Co. Ltd. [Mangla Ram v. Oriental Insurance Co. Ltd., (2018) 5 SCC 656 : (2018) 3 SCC (Civ) 335 : (2018) 2 SCC (Cri) 819 : 2018 INSC 311] , held in para 27, thus : (SCC p. 672)
>
> > "27. Another reason which weighed with the High Court to interfere in the first appeal filed by Respondents 2 and 3, was absence of finding by the Tribunal about the factum of negligence of the driver of the subject jeep. Factually, this view is untenable. Our understanding of the analysis done by the Tribunal is to hold that Jeep No. RST 4701 was driven rashly and negligently by Respondent 2 when it collided with the motorcycle of the appellant leading to the accident. This can be discerned from the evidence of witnesses and the contents of the charge-sheet filed by the police, naming Respondent 2. This Court in a recent decision in Dulcina Fernandes [Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz, (2013) 10 SCC 646 : (2014) 1 SCC (Civ) 73 : (2014) 1 SCC (Cri) 13] , noted that the key of negligence on the part of the driver of the offending vehicle as set up by the claimants was required to be decided by the Tribunal on the touchstone of preponderance of probability and certainly not by standard of proof beyond reasonable doubt. Suffice it to observe that the exposition in the judgments already adverted to by us, filing of

charge-sheet against Respondent 2 prima facie points towards his complicity in driving the vehicle negligently and rashly. Further, even when the accused were to be acquitted in the criminal case, this Court opined that the same may be of no effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the tribunal."

9. It is true that the Tribunal had looked into the oral and documentary evidence including the FIR, final report and such other documents prepared by the police in connection with the accident in question. The Tribunal had also taken note of the fact that based on the final report, the driver of the offending truck was tried and found guilty for rash and negligent driving. The High Court took note of such aspects and found no illegality in the procedure adopted by the Tribunal and consequently dismissed the appeal.

10. In the contextual situation it is relevant to refer to a decision of this Court in Mathew Alexander v. Mohd. Shafi [Mathew Alexander v. Mohd. Shafi, (2023) 13 SCC 510 : 2023 INSC 621] , this Court held thus : (SCC p. 514, para 12)

"12. …A holistic view of the evidence has to be taken into consideration by the Tribunal and strict proof of an accident caused by a particular vehicle in a particular manner need not be established by the claimants. The claimants have to establish their case on the touchstone of preponderance of probabilities. The standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied while considering the petition seeking compensation on account of death or injury in a road traffic accident. To the same effect is the observation made by this Court in Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz [Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz, (2013) 10 SCC 646 : (2014) 1 SCC (Civ) 73 : (2014) 1 SCC (Cri) 13] which has referred to the aforesaid judgment in Bimla Devi [Bimla Devi v. Himachal RTC, (2009) 13 SCC 530 : (2009) 5 SCC (Civ) 189 : (2010) 1 SCC (Cri) 1101] ."

11. विचाराधीन प्रकरण के तथ्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रहलाद साहू (आवेदक साक्षी क्रमांक–2), जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है कि दुर्घटना "दोषी वाहन" से कारित हुई थी । उसके उक्त कथन की पुष्टि पुलिस विवेचना उपरांत प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन तथा अन्य चालानी दस्तावेजों से भी होती है । इसके विपरीत, बीमा कंपनी की ओर से "दोषी वाहन" की दुर्घटना में संलिप्तता का खण्डन करने हेतु कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय अथवा प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । मात्र इस आधार पर कि देहाती मर्ग सूचना में "दोषी वाहन" का पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं है अथवा वाहन की जप्ती दुर्घटना के कुछ समय पश्चात् हुई है, दावाकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रहलाद साहू के कथन एवं न्यायदृष्टांत **Rajani Sahu** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आलोक में यह न्यायालय पाती है कि "दोषी वाहन" की दुर्घटना में संलिप्तता के संबंध में अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं विधिसम्मत है । तथ्यों की भिन्नता के कारण बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का लाभ उन्हें नहीं मिलता । फलस्वरूप, इस संबंध में बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

मृतक की आय

12. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रदर्श पी–13 (वेतन पर्ची), प्रदर्श पी–14 (आयकर विवरणी) तथा प्रदर्श पी–15 (फॉर्म–16) में अंकित आय परस्पर एक समान नहीं है । ऐसी स्थिति में अधिकरण को इन दस्तावेजों में उल्लिखित न्यूनतम आय को ही मृतक की आय के रूप में स्वीकार करना चाहिए था । अतः केवल प्रदर्श पी–

13 के आधार पर मृतक की मासिक आय ₹76,745.22/– निर्धारित किया जाना उचित नहीं है। इसके विपरीत, दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रदर्श पी–13 दुर्घटना से ठीक पूर्ववर्ती माह की वेतन पर्ची है, जो दुर्घटना के समय मृतक द्वारा प्राप्त वास्तविक वेतन को प्रदर्शित करती है। अतः अधिकरण द्वारा उसी पर विश्वास किया जाना पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी–14 (आयकर विवरणी) एवं प्रदर्श पी–15 (फॉर्म–16) निर्धारण वर्ष 2017–18 से संबंधित दस्तावेज हैं, जबकि प्रदर्श पी–13 दुर्घटना दिनांक 08.08.2018 से ठीक पूर्ववर्ती माह जुलाई, 2018 की वेतन पर्ची है। स्वाभाविक रूप से दुर्घटना के समय मृतक द्वारा प्राप्त वास्तविक मासिक वेतन का सर्वाधिक प्रामाणिक एवं समकालीन साक्ष्य प्रदर्श पी–13 ही है। केवल इस आधार पर कि पूर्ववर्ती आयकर संबंधी अभिलेखों में आय का विवरण भिन्न है, दुर्घटना के समय की वेतन पर्ची की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अतः अधिकरण द्वारा प्रदर्श पी–13 के आधार पर मृतक की मासिक आय ₹76,745.22/– निर्धारित किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं पूर्णतः विधिसम्मत है। फलस्वरूप, इस संबंध में अधिकरण के निष्कर्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

भावी संभावनाएँ

14. जहाँ तक मृतक की आयु एवं भावी संभावनाओं का प्रश्न है, अधिकरण ने प्रदर्श पी–16, प्रदर्श पी–17 एवं प्रदर्श पी–18 के आधार पर मृतक की आयु 41 वर्ष मानते हुए न्यायदृष्टांत **National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi, (2017)**

16 SCC 680 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुरूप उसकी आय में भावी संभावनाओं के मद में 30% की वृद्धि की है। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा 30% भावी संभावनाओं का लाभ प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः यह न्यायालय पाती है कि मृतक की आय में भावी संभावनाओं के मद में 30% की वृद्धि किया जाना विधिसम्मत है। फलस्वरूप, इस संबंध में अधिकरण द्वारा किया गया निर्धारण यथावत रखा जाता है।

आयकर की गणना व कटौती

15. प्रदर्श पी–13 (वेतन पर्ची) में उपलब्ध विवरण के अनुसार मृतक की मासिक आय ₹76,745.22/– अर्थात् वार्षिक आय ₹9,20,942.64/– निर्धारित होती है। उसकी आय में भविष्य की संभावनाओं के मद में 30% वृद्धि देय होगी। तदनुसार, भविष्य की संभावनाओं के मद में ₹2,76,282.79/– जोड़ने पर मृतक की वार्षिक आय ₹11,97,225.43/– निर्धारित होती है।

16. मृतक की उक्त वार्षिक आय में से आयकर के रूप में वैधानिक कटौती किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार आयकर की गणना निम्नानुसार है :–

आयकर स्लैब	आयकर दर	कर योग्य आय	कुल कर
₹2,50,000/– तक	शून्य	₹2,50,000	शून्य
₹2,50,001/– से ₹5,00,000/–	5%	₹2,50,000	₹12,500
₹5,00,001/– से ₹10,00,000/–	20%	₹5,00,000	₹1,00,000
₹10,00,001/– से अधिक	30%	₹1,97,225.43	₹59,167.63
		कुल आयकर	**₹1,71,667.63**

17. अतः आयकर कटौती के पश्चात वार्षिक आय ₹10,25,557.80/– (₹11,97,225.43 – ₹1,71,667.63) निर्धारित होगी ।

आश्रितता

18. दावाकर्तागण की मृतक पर आश्रितता के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया जा रहा है । अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिकरण ने मृतक की पत्नी, तीन पुत्र तथा उसकी माता सहित कुल पाँच दावाकर्तागण को मृतक पर आश्रित मानते हुए उसके व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के मद में आय का एक–चौथाई (1/4) भाग घटाया है ।

19. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दावाकर्तागण में सम्मिलित तीनों पुत्र दुर्घटना की तिथि पर वयस्क थे तथा स्वयं आजीविका अर्जित करने में सक्षम थे । ऐसी स्थिति में उन्हें मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता । अतः अधिकरण द्वारा पाँच आश्रितों को मानते हुए व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के लिए आय का एक–चौथाई (1/4) भाग घटाया जाना विधिसम्मत नहीं है । उनके अनुसार इस प्रकरण में केवल मृतक की पत्नी एवं माता को ही आश्रित माना जाना चाहिए था तथा व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के लिए आय का एक–तिहाई (1/3) भाग घटाया जाना अपेक्षित था ।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दावाकर्तागण ने तीनों पुत्रों रविकुमार साहू, विनोद कुमार साहू एवं मनोज कुमार साहू की आयु क्रमशः 22 वर्ष, 20 वर्ष एवं 18 वर्ष दर्शाई है । तथापि, मात्र उनके वयस्क होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे मृतक पर आश्रित नहीं थे । बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथन में भी ऐसा कोई स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है कि तीनों पुत्र स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित कर

रहे थे अथवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे । इतना ही नहीं, उक्त तथ्य के समर्थन में बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक साक्षी श्रीमती गंगाबाई के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी इस संबंध में कोई प्रभावी प्रश्न नहीं किया गया, जिससे यह स्थापित हो सके कि तीनों पुत्र मृतक पर आश्रित ना होकर आत्मनिर्भर थे । ऐसी परिस्थितियों में मात्र अनुमान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

21. इस संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने **Narinder Kaur v. Jagmeet Singh, 2025 ACJ 357** में यह प्रतिपादित किया है कि आश्रितता का तात्पर्य केवल आर्थिक आश्रितता तक सीमित नहीं है । भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संतान एवं माता–पिता जीवन के विभिन्न चरणों में एक–दूसरे पर आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से भी आश्रित हो सकते हैं । अतः केवल संतान के वयस्क होने के आधार पर उन्हें आश्रितता से वंचित नहीं किया जा सकता । उक्त निर्णय की कण्डिका 22 से 24 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत वर्तमान विवाद के निराकरण के लिए प्रासंगिक हैं । जो कि निम्नानुसार हैः–

> **“22.** It is submitted by learned counsel for the Insurance Company that since the sons are grown up children of deceased and they ought to be settled in their lives and also father of deceased Karnail Singh ought to have his own source of livelihood, therefore, they were not dependent upon the earning of the deceased and therefore, compensation ought to be denied them. However, the aforesaid submission is not tenable.
>
> **23.** No doubt, the sons of both the deceased are major and even compensation has been sought at the instance of Balbir Singh, father of deceased Karnail Singh, but out rightly it cannot be concluded about they being not dependents upon the deceased. **It**

should be noticed that in the Indian Society the children as well as the parents remain dependents upon each other at various stages of life. It is pertinent to mention that the word 'dependent has a different meaning in different connotations. Some may be dependent in terms of money and others may be dependent in terms of service.

24. Thus, dependency is a relative criteria to claim compensation for loss of dependency. It does not mean financial only. It also includes gratuitous service dependency, physical dependency, emotional dependency, psychological dependency and so on and so forth, which can never be equated in term of money. Thus considering the same, even the major sons of both the deceased as well as father of deceased Karnail Singh ought not to be deprived of the compensation. ....”

(Emphasis supplied)

22. वर्तमान प्रकरण में बीमा कंपनी यह स्थापित करने में पूर्णतः असफल रही है कि दुर्घटना की तिथि पर मृतक के तीनों पुत्र स्वयं आजीविका अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे । केवल उनके वयस्क होने के आधार पर उन्हें मृतक पर अनाश्रित नहीं माना जा सकता । अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की पत्नी, तीनों पुत्र तथा उसकी माता सभी मृतक पर आश्रित थे । **Narinder Kaur** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में यह न्यायालय पाती है कि अधिकरण द्वारा पाँच आश्रितों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक को व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के लिए आय का एक–चौथाई (1/4) भाग घटाया जाना पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत है । फलस्वरूप, इस संबंध में बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

गुणांक

23. गुणक के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया जा रहा है । दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रदर्श पी–16, प्रदर्श पी–17 एवं प्रदर्श पी–18, जो क्रमशः मृतक के पैन कार्ड, परिचय पत्र एवं आधार कार्ड हैं, के अनुसार मृतक की जन्मतिथि 26.09.1977 है । फलस्वरूप दुर्घटना दिनांक 08.08.2018 को उसकी आयु 40 वर्ष 10 माह 13 दिन थी । इसके बावजूद अधिकरण ने मृतक की आयु 41 वर्ष मानते हुए 14 का गुणक लागू किया है । उनका तर्क है कि दुर्घटना की तिथि तक मृतक ने 41 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी, अतः उसकी आयु 40 वर्ष मानते हुए **Sarla Verma v. Delhi Transport Corporation, (2009) 6 SCC 121** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 15 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था । इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण के निष्कर्ष का समर्थन किया ।

24. यह न्यायालय अपीलार्थी के तर्क से सहमत है कि दुर्घटना दिनांक 08.08.2018 को उसकी आयु 40 वर्ष 10 माह 13 दिन थी, अर्थात् उसने 41 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी । ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा उसकी आयु 41 वर्ष मानते हुए 14 का गुणक लागू किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के अनुरूप नहीं है । **Sarla Verma (पूर्वोक्त)**, जिसे **National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680** में अनुमोदित किया गया है, में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुसार 40 वर्ष की आयु होने पर 15 का गुणक लागू किया जाना अपेक्षित है । फलस्वरूप, यह न्यायालय पाती है कि इस सीमा तक "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" संशोधन योग्य है । अतः मृतक की आयु 40 वर्ष मानते हुए 15 का गुणक लागू किया जाता है ।

प्रतिकर की अंतिम गणना

25. उपर्युक्त समस्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय ₹76,745.22/– निर्धारित करना तथा व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय के मद में आय का 1/4 भाग घटाना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के अनुरूप है। तथापि, अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय ₹9,20,942.64/– में से ₹48,162/– आयकर की कटौती कर उसके पश्चात भावी संभावनाओं के मद में 30% की वृद्धि की है। जबकि आयकर की गणना भावी संभावनाओं सहित वार्षिक आय पर की जानी चाहिए। साथ ही, मृतक की आयु 40 वर्ष 10 माह 13 दिन होने के बावजूद उसे 41 वर्ष मानते हुए 14 का गुणक लागू किया जाना भी विधिसम्मत नहीं है। चूँकि दुर्घटना की तिथि तक मृतक ने 41 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी, अतः उसकी आयु 40 वर्ष मानते हुए 15 का गुणक लागू किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है । न्यायदृष्टांत **Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram @ Chuhru Ram & Ors., (2018) 18 SCC 130** इसके अतिरिक्त, दावाकर्तागण साहचर्यता की हानि के मद में ₹40,000/– प्रति दावाकर्ता के अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं । फलस्वरूप, दावाकर्तागण को देय प्रतिकर राशि का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है–

क्र.	मद	अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर	इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर
1	वार्षिक आय	₹9,20,942.64	₹9,20,942.64
2	अधिकरण द्वारा आयकर कटौती पश्चात वार्षिक शुद्ध आय	₹8,72,780.64 (₹9,20,942.64 – ₹48,162)	–
3	भावी संभावनाएँ (30%)	₹2,61,834.19	₹2,76,282.79

क्र.	मद	अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर	इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर
4	भावी संभावनाएँ जोड़ने के पश्चात वार्षिक आय	₹11,34,614.83	₹11,97,225.43
5	इस न्यायालय द्वारा आयकर कटौती पश्चात शेष राशि	–	₹10,25,557.80
6	व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय हेतु 1/4 कटौती पश्चात वार्षिक आश्रितता	₹8,50,961.12	₹7,69,168.35
7	गुणक पश्चात आश्रितता की कुल हानि	₹1,19,13,455.68 (गुणक–14)	₹1,15,37,525.25 (गुणक–15)
8	साहचर्यता की हानि	₹40,000	₹2,00,000
9	संपदा की हानि	₹15,000	₹15,000
10	दाह–संस्कार व्यय	₹15,000	₹15,000
	कुल प्रतिकर	**₹1,19,83,455.68**	**₹1,17,67,525**

निष्कर्ष

26. उपर्युक्त पुनर्गणना के अनुसार दावाकर्तागण कुल **₹1,17,67,525/– (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र)** प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूँकि अधिकरण द्वारा कुल **₹1,19,83,455/–** प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था, अतः इस न्यायालय द्वारा की गई पुनर्गणना के अनुसार प्रतिकर राशि में वृद्धि न होकर **₹2,15,930/–** की कमी होती है।

27. परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक–207/2021 **आंशिक रूप से स्वीकार** तथा दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक–149/2021 **निरस्त** की जाती है।

28. फलस्वरूप, प्रतिकर राशि ₹1,19,83,455/– के बजाय ₹1,17,67,525/– निर्धारित की जाती है जो दावाकर्तागण प्राप्त करेंगे। शेष शर्तें यथावत् रहेंगे।

29. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय के फलस्वरूप दावाकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत अतिरिक्त प्रतिकर राशि के संबंध में उन्हें विधिवत् सूचित किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, आवश्यक होने पर संबंधित क्षेत्र, जहाँ दावाकर्तागण निवास करते हैं, के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समन्वय से पैरालीगल स्वयंसेवकों की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

30. निर्णय की प्रति के साथ अधिकरण का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ वापस प्रेषित हो।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन